संख्या 415 /XXX(2)/2013

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1)प्रमुख सचिव/सचिव,
लोक निर्माण/सिंचाई/लघु सिचाई,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/
शहरी विकास/आवास/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/
पेयजल/जलागम/ग्राम्य विकास/पचायती राज/कृषि/
उर्जा(उरेड़ा)/पर्यटन /चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 21 मार्च 2013

विषय:– उत्तराखण्ड डिप्लोमा इन्जीनियर्स महासंघ की मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 04 मार्च 2013 को शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक मे लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध म मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1380/XXX (2) 2010 दिनांक 20 सितम्बर 2010 के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के मध्य एक अतिरिक्त पद अपर सहायक अभियन्ता वेतनमान ₹ 9300–3480-ग्रेड वेतन ₹ 4800 में सृजित करते हुए उक्त पद धारक को राजपत्रित श्रेणी में रखे जाने, कनिष्ठ अभियन्ता के कुल पदों के सापेक्ष 75 पतिशत पद अपर सहायक अभियन्ता के रखने, इस पद पर प्रोन्नति हेतु कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष की निरन्तर सेवा की अर्हता निर्धारित करने तथा लोक सेवा आयोग हेतु अधियाचन में रिक्ति की गणना कनिष्ठ अभियन्ता के कुल सृजित पदों में से कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के भरे पदों को घटाकर किए जाने हेतु शासनादेश निर्गत करने के निदेश दिये गये है।

2– इस सम्बन्ध में महासंघ के पदाधिकारियों के साथ दिनांक 04 मार्च 2013 को शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कनिष्ठ अभियन्ता पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 75 प्रतिशत कनिष्ठ अभियन्ताओं को अपर सहायक अभियन्ता बनाये जाने की व्यवस्था में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जायेगा :–

(1) 5 वर्ष की सेवा के स्थान पर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कनिष्ठ अभियन्ता को अपर सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की व्यवस्था की जायेगी।

(2) 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कनिष्ठ अभियन्ताओं को 75 प्रतिशत के स्थान पर 85 प्रतिशत कनिष्ठ अभियन्ताओं को अपर सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत किया जायेगा।

3– कृपया उपरोक्त निर्णयानुसार अभियंत्रण संवर्ग के ढांचे में संशोधन करते हुए तत्काल शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना कार्मिक विभाग के साथ– साथ सिचाई विभाग,जो कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में समन्वयक विभाग है को भी उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव